राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2015/2013/उदयपुर
मैसर्स यूनाईटेड एक्सपोर्ट्स
उदयपुर — अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–द्वितीय, वृत–सी,उदयपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री कल्पेश जैन
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 7.4.2015

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से अतिरिक्त आयुक्त,अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 184/आरएसटी/12–13/उदयपुर में पारित आदेश दिनांक 23.09.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2004–05 का कर निर्धारण दिनांक 09.03.2007 को पारित कर, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट–द्वितीय,वृत–सी,उदयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा कर रू. 24,000/–, ब्याज रू. 9360/– एवं शास्ति रू. 1500/– कुल रू. 34,860/–की मांग सृजित की, जिसके विरूद्ध विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय आधिकरी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने आदेश दिनांक 23.09.2013 पारित कर सृजित मांग रू. 34,860/– को यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार की है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए कर रू. 24,000/– एवं ब्याज 9360/–आरोपित किया है,जो नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के विरूद्ध है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए शास्ति रू. 1500/–आरोपित की है,जो अविधिक है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी मांग सृजित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार की है,जो तथ्यों के विरूद्ध है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग सृजित करने से पूर्व नोटिस जारी किया गया तथा उसको 03.01.2007 को तामील कराया गया तथा तामील शुदा नोटिस शास्ति पत्रावली के पेज 7 पर उपलब्ध है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी का यह कथन कि उसे नोटिस तामील नहीं कराकर एक पक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है,सत्य नहीं है। उनका कथन है कि उक्त आधार पर ही विद्वान अपीलीय अधिकारी ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को यथावत रखा गया है,जो उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा लिखित प्रतिवेदन पेश कर निवेदन किया है कि वर्ष 2004–05 में उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह बैंगलोर चला गया था वहां पर ही निवास कर रहा है,अतः उसे उदयपुर में नोटिस तामील कैसे कराया गया, यह समझ से परे है। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो नोटिस तामील कराया गया है, उस पर रेखा झाला के हस्ताक्षर है, रेखा का अपीलार्थी फर्म से क्या सम्बन्ध है, इस बाबत् बहस के दौरान कर निर्धारण अधिकारी की ओर से कोई प्रमाण अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये हैं। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि उसे सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जाये ताकि वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर न्याय पा सके।

अपीलार्थी व्यवसायी के निवेदन एवं प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्याय हित अपीलार्थी व्यवसायी को एक अवसर और दिया जाना उचित है। अतः कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का एक अवसर और प्रदान कर नियमानुसार पुनः आदेश पारित करें। अपीलार्थी व्यवहारी को भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर कर निर्धारण अधिकरी के समक्ष उपस्थित हो, ताकि समय पर कार्यवाही सम्पादित की जा सके।

फलतः प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य